भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1013
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशें

†1013. श्री माथेश्वरन वी. एस. :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायलय के न्यायधीशों के स्थानानांतरण के बारे में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की ऐसी कितनी सिफारिशें हैं जो छह महीने से अधिक समय से सरकार के पास लंबित हैं ; और

(ख) सरकार के पास उच्च न्यायालयों के न्याधीशों की नियुक्ति के बारे में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की कितनी सिफारिशें एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : भारत के संविधान का अनुच्छेद 222 यह अनुबंध करता है कि राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात, किसी न्यायाधीश का अंतरण एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में कर सकेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और अंतरण के लिए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अंतरण का प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करके आरंभ किया जाता है।

प्रक्रिया ज्ञापन में आगे यह भी उपबंध किया गया है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से यह प्रत्याशंका की जाती है कि वे उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के विचारों को भी

ध्यान में रखें, जहाँ से न्यायाधीश का अंतरण किया जाएगा, साथ ही उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के विचारों को भी ध्यान में रखें, जहाँ अंतरण किया जाएगा, और साथ ही उच्चतम न्यायालय के एक या अधिक न्यायाधीशों के विचारों को भी ध्यान में रखें जो अपने विचार देने की स्थिति में हैं। संबंधित न्यायाधीश से संबंधित व्यक्तिगत कारकों, जिनमें मुख्य न्यायमूर्ति, और प्रस्ताव पर उनकी प्रतिक्रिया, जिसमें उनके पसंदीदा स्थान भी सम्मिलित हैं, को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के पहले चार अवर न्यायाधीशों द्वारा प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने से पहले अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाता है। सभी अंतरण जनहित में, अर्थात् पूरे देश में न्याय के बेहतर प्रशासन को प्रोन्नत करने के लिए किए जाते हैं, । प्रक्रिया ज्ञापन में न्यायाधीशों के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण के लिए कोई समय सीमा विहित नहीं की गई है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के अधीन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है, जिसे 6 अक्टूबर, 1993 के उच्चतम न्यायालय के फैसले (द्वितीय न्यायाधीश मामला) और 28 अक्टूबर, 1998 के उनके सलाहकार मत (तृतीय न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में 1998 में तैयार किया गया था। एमओपी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने का दायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने का दायित्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है, जो उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श से किया जाता है। एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों को रिक्ति उत्पन्न होने से कम से कम 6 माह पूर्व सिफारिशें प्रस्तुत की जाती हैं। उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए, संबंधित राज्य सरकार के विचार प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार प्राप्त किए जाते हैं। सिफारिशों पर विचार करते समय सरकार के पास विचाराधीन नामों से संबंधित उपलब्ध अन्य रिपोर्टों को भी ध्यान में रखा जाता है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशें उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को परामर्श के लिए भेजी जाती हैं।

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्रीय स्तर पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नाम उच्चतम न्यायालय द्वारा सिफारिश किए जाते हैं।
